



2026:AHC:41501-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 3558/2026

अरुण उर्फ अरुण कुमारयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (अधिवक्ता): अभय प्रताप सिंह, अनूप सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता (अधिवक्ता): जी.ए., राम राज पांडेय, शुभम पांडेय

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता), राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) श्री राम राज पांडेय को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) ने बार में यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और बेहतर विवरण के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान ए.जी.ए. और साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता (अधिवक्ता) को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

24 फरवरी, 2026

ज़फ़र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।